UPAG010052552019

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी / एस0टी0 एक्ट), आगरा।

सत्र परीक्षण संख्या–285 / 2019
धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व
धारा 3(1)ध एस0सी0 / एस0टी0 एक्ट
थाना न्यू आगरा, जिला आगरा।

दिनांक 25.01.2021

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज उन्मोचन प्रार्थना पत्र 16ख पर आदेश हेतु नियत है। प्रार्थना पत्र 16ख पर पक्षकारों को विगत तिथि पर सुना जा चुका है।

संक्षेप में प्रार्थना पत्र 16ख मय शपथपत्र प्रार्थी / अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या–34081 / 2019 सीमा अरोरा व 4 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा प्रार्थना पत्र संख्या–24029 / 2019 राहुल वर्मा आदि बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश क्रमशः दिनांकित 23.05.2019 व 18.09.2019 के अनुपालन में वे यह उन्मोचन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। उपरोक्त केस में उन्हें झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। उन्होंने कोई घटना कारित नहीं की है। घटना स्थल पर काफी लोग मौजूद थे लेकिन पुलिस ने किसी भी साक्षी का बयान नहीं लिखा है। दस सार्वजनिक साक्षियो / गवाहों ने घटना के सही तथ्यों के संबंध में अपने शपथपत्र विवेचनाधिकारी / क्षेत्राधिकारी व एस0एस0पी0 को दिनांक 12.08.2018 को डाक से प्रेषित किए गए हैं जिन्हें विवेचनाधिकारी ने जानबूझकर केस डायरी में अंकित नहीं किया गया है। अभियुक्तगण को झूठा फंसाने के मुख्य बिन्दु पर विवेचना नहीं की गयी है क्योंकि इस मामले की अभियुक्ता रागिनी ठाकुर की 3 वर्षीय पुत्री हर्षिता के साथ छेड़छाड़ आदि करने के संबंध में अभियुक्ता रागिनी के पति विपिन ठाकुर ने उक्त मामले के वादी अवतार कुमार के सगे भाई सनी के विरूद्ध मु0अ0सं0 197 / 2016 थाना न्यू आगरा में दिनांक 13.03.2016 को इस घटना से पूर्व पंजीकृत कराया गया है। इसी रंजिश के तहत उन्हें इस मुकदमें में झूठा फंसा दिया गया है। चार्जशीट में जिस गवाह का नाम अंकित है वह वादी की मॉ है जो हितबद्ध साक्षी है। घटना दिनांक 23.09.2019 की सायं 05:30 बजे

की बतायी जाती है और रिपोर्ट दिनांक 29.09.2019 को समय 14:27 बजे पर दर्ज होना बतायी गयी है। घटना की रिपोर्ट के बीच में 6 दिन का विलम्ब है। 6 दिन विलम्ब से रिपोर्ट लिखाने का मकसद सोच समझकर नामजद करना था। अतः उपरोक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्तगण को आरोप से उन्मोचित किए जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन द्वारा प्रार्थना पत्र 16ख का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा उन्मोचन प्रार्थना पत्र में जो बिन्दु उठाए गए हैं, वे साक्ष्य का विषय हैं जिन पर अभी विचार नहीं किया जाना है। अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किए जाने हेतु पत्रावली पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः प्रार्थना पत्र 16ख बावत उन्मोचन निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

केस डायरी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादी ने अपने बयान अर्न्तगत धारा 161 द0प्र0सं0 में घटना का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त विवेचक के द्वारा गवाहन के बयान धारा 161 द0प्र0सं0 में अंकित किये गये उनके द्वारा भी वादी के कथनों का समर्थन किया है। साक्ष्य संकलित करने के उपरान्त विवेचक द्वारा अभियुक्त राहुल वर्मा के विरूद्ध धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अभियुक्तगण कपिल ठाकुर, श्रीमती रागिनी ठाकुर, श्रीमती बुलबुल ठाकुर, श्रीमती सीमा अरोरा के विरूद्ध धारा 147, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व अभियुक्ता श्रीमती सुनीता ठाकुर के विरूद्ध धारा 147, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1)ध एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी/अभियुक्तगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र उन्मोचन में मुख्य आधार यह लिया गया है कि इस मामले की अभियुक्ता रागिनी ठाकुर की 3 वर्षीय पुत्री हर्षिता के साथ छेड़छाड़ आदि करने के संबंध में अभियुक्ता रागिनी के पति विपिन ठाकुर ने उक्त मामले के वादी अवतार कुमार के सगे भाई सनी के विरूद्ध मु0अ0सं0 197/2016 थाना न्यू आगरा में दिनांक 13.03.2016 को इस घटना से पूर्व पंजीकृत कराया गया है। इसी रंजिश के तहत उन्हें इस मुकदमें में झूठा फंसा दिया गया है। न्यायालय के मत में उक्त बिन्दु साक्ष्य का विषय हैं जिसका निर्धारण पत्रावली पर बिना साक्ष्य लिए इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। आरोप के स्तर पर न्यायालय को मात्र अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया साक्ष्य को देखा जाना होता है।

अभियुक्तगण की ओर से प्रार्थनापत्र में जो भी आधर लिए गये हैं, उनके संबंध में आरोप के स्तर पर कोई भी अन्तिम निष्कर्ष दिया जाना न्याय हित में उचित नहीं प्रतीत होता है। आरोप के स्तर पर केवल मात्र पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर ही देखा जाना है कि अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने हेतु प्रथम दृष्टया साक्ष्य व आधार हैं अथवा नहीं।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सज्जन कुमार बनाम सी0बी0आई0 (2010) 9 एस0सी0सी0–368** यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि :–

" At the stage of framing of charge under section 228 Cr.P.C. of while considering the discharge petition filed under section 227, it is not for the Magistrate or the judge concerned to analyse all the materials including pros and cons, reliability or acceptability, ect. It is at the trial, the judge concerned has to appreciate their evidentiary value, credibility or otherwise of the statement, veracity of various documents and is free to take a decision one way or the other."

इसी संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **सी0बी0आई0 बनाम नरायन दास 2012 सी0आर0–एल0जे0 2610 (एस0सी0)** तथा **बिहार राज्य बनाम रमेशसिंह (1979)4 ए0सी0सी0 39** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि विचारण के प्रारम्भ में और उसकी आरंभिक अवस्था में विवेचक द्वारा प्रस्तुत करने वाली प्रस्तावित साक्ष्य की सत्यता, सत्यवादिता और प्रभाव को बारीकी के साथ जांचने की आवश्यकता नहीं होती है। आरोप गठन के प्रक्रम पर अभियुक्त की संभाव्य प्रतिरक्षा को भी विचार दिये जाने की आवश्यकता नहीं होती है। विचारण के इस प्रक्रम पर न्यायालय के लिए यह बाध्यकारी नहीं है कि न्यायालय इस पर विस्तार से विचार करे और संवेदनशील संतुलन के अनुरूप यह तौले कि तथ्य यदि साबित हो गये तो क्या अभियुक्त की निर्दोषिता के विरूद्ध जायेंगे। आरोप गठन के इस प्रक्रम पर न्यायालय को यह नहीं देखना है कि क्या अभियुक्त की दोषसिद्धि के पर्याप्त आधार है अथवा नहीं ? आरोप विरचित करने के लिए न्यायालय को इस प्रक्रम पर अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किये गये साक्ष्य की सच्चाई और विश्वसनीयता की सूक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अभियुक्त को अन्तिम रूप से दोषी ठहराने से पूर्व लागू की जाने वाली कसौटी या सबूत का आरोप विरचित करने के प्रक्रम पर लागू नहीं

किया जा सकता है।

प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त राहुल वर्मा के विरूद्ध धारा 147, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, अभियुक्तगण कपिल ठाकुर, श्रीमती रागिनी ठाकुर, श्रीमती बुलबुल ठाकुर, श्रीमती सीमा अरोरा के विरूद्ध धारा 147, 504 भा0द0सं0 व धारा 3(1)ध एस0सी0/एस0टी0 एक्ट व अभियुक्ता श्रीमती सुनीता ठाकुर के विरूद्ध धारा 147, 504, 506 भा0द0सं0 व धारा 3(1)ध एस.सी./एस.टी.एक्ट के अन्तर्गत आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। प्रेषित किये गये आरोपपत्र के आधार पर तथा केस डायरी के अवलोकन करने के उपरान्त पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 11.03.2019 को प्रसंज्ञान लिया गया है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 16ख वास्ते आरोप से उन्मोचन दिनांकित 16.01.2021 स्वीकार किए जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। प्रार्थना पत्र 16ख निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 16ख दिनांकित 16.01.2021 वास्ते आरोप से उन्मोचित किये जाने तद्नुसार निरस्त किया जाता है।

अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये हेतु पत्रावली दिनांक 10.02.2020 को पेश हो।

(अनिल कुमार, द्वितीय)
विशेष न्यायाधीश
(एस0सी0/एस0टी0 एक्ट)
आगरा।